



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062021-227533
CG-DL-E-12062021-227533

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2126]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943

No. 2126]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISTHA 21, 1943

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(वित्तीय बाजार प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का.आ. 2289(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 4 की उप-धारा 1 के साथ पठित उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 147 (अ) तारीख 21 फरवरी, 1992 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :

उक्त अधिसूचना में, क्रमांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :

"2. आनंद मोहन बजाज

सदस्य"

अपर सचिव,

आर्थिक कार्य विभाग,

वित्त मंत्रालय,

भारत सरकार।

[फा.सं. 2/6/2020-आर.ई.]

राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

